CHAPTER - IV
PAYMENT OF TAX

Section 9 : Payment of tax

The amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of,-

(a) integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax, or as the case may be, Union territory tax, in that order;

(b) the Union territory tax shall first be utilised towards payment of Union territory tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards payment of integrated tax;

[1]**[Provided that** the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;**]**

(c) the Union territory tax shall not be utilised towards payment of central tax.

---

1 Proviso inserted by Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (33 of 2018) w.e.f. 01-02-2019 by Noti. No. 1/2019-Union Territory Tax, dt. 29-01-2019.

अध्याय 4
कर का संदाय

धारा 9 : कर का संदाय

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में,–

(क) एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग प्रथमतया एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग केन्द्रीय कर और, यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, उस क्रम में संदाय हेतु किया जा सकेगा।

(ख) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग प्रथमतया संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जा सकेगा;

[1]**[परन्तु** यह कि संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा, जब केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का बकाया एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;**]**

(ग) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग केन्द्रीय कर के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा।

---

1 संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।